

आई.सी.ए.आर.— केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान,

अमरावती रोड, नागपुर — 440033

नीलामी सूचना संख्या 03/2024

695
02/09/2024

केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, अमरावती रोड, नागपुर मे स्थित मोसंबी ब्लाक नं. 13, 15, 17, 18, 128, 129, 130, 131, 132, 121 एवं 123 इत्यादी में स्थित पौधों पर लगे मोसंबी फलों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 10.09.2024 को की जायेगी, इस संबंध में इच्छुक ठेकेदार मोसंबी की खरीददारी हेतु कार्यालय समय 10 बजे से 5 बजे तक मोसंबी फलों को निरीक्षण कर कीमत को दिनांक 10.09.2024 को पूरी तहर से भरकर रू. 5,000/- की सुरक्षा निधी के साथ (ई.एम.डी.) डी.डी. [ICAR Unit CCRI Nagpur के नाम] आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. आफिस में जमा करना होगा। जिसे अपरान्ह 11.00 बजे ठेकेदारों के सामने खोला जायेगा।

नीलामी निम्नलिखित नियमों व शर्तों के आधार पर होगी।

कोटेशन भरने वाले ठेकेदार को रू. 5,000/- (रू. पाँच हजार रूपये मात्र) धरोहर राशि का डी.डी. आई.सी.ए.आर. यूनिट सी.सी.आर आई. नागपुर [ICAR Unit CCRI, Nagpur] के नाम बना कर जमा करना होगा जो कि निदेशक, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. द्वारा सर्वाधिक बोली स्वीकार करने पर सफल ठेकेदार को छोडकर अन्य लोगों को वापस कर दी जायेगी।

- सफल बोली स्वीकार्य व्यक्ति को नीलामी राशि की रकम तुरंत जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर उसकी ईएमडी भी जप्त कर ली जायेगी।
- पूरी राशि जमा करने पर ही उसे नीलाम किये गये मोसंबी फलों को तोडने की अनुमती दी जायेगी।
- नीलाम किये गये मोसंबी फलों को ठेकेदार द्वारा 11/10/2024 तक उसे अपने श्रमिकों से तोडना होगा। यदि ठेकेदार निर्धारित समय में मोसंब के फलों को आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर. आई. से ले जाने में असमर्थ रहता है और निदेशक महोदय उसे अनुमति नहीं देते तो वह मोसंबी फलों को नहीं ले जा सकेंगा और इसकी जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
- मूल्य निर्धारण कीमत कोटेशन खोलने के पश्चात घोषित की जायेगी।
- नीलामी किये गये मोसंबी के फलों को आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. से बाहर ले जाने हेतु संबंधित प्रशासनिक अधिकारी की सहायता से गेट पास जारी की जायेगी।
- ठेकेदार मोसंबी के फलों को चोरी से बचाने के उपाय स्वयं करेगा। कार्यालय इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा।
- फार्म पर बिक्री काउंटर नहीं खोलने दिया जायेगा।
- मोसंबी पेड़ से उनके गुणात्मक पहलुओं को जानने हेतु 5 (पाँच) फल प्रति पेड़ बिना किमत लिए जाएंगे।

- मोसंबी के ब्लकों में से फल तोड़ने से पहले जान ले की अनुसंधान हेतु लिये जाने वाले फल तोड़े गये हैं या नहीं।
- मोसंबी के ब्लक नं. 13,15,17,18 एवं 132 आदि प्रत्येक ब्लक में 2 (दो) पौधे प्रत्येक लाईन में अनुसंधान प्रयोग हेतु छोड़ना होगा।
- शनिवार, रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन मोसंबी फलों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा और न ही उन्हें बाहर ले जाने की अनुमती दी जायेगी और न ही किसी व्यक्ति या वाहन को अंदर आने की अनुमती दी जायेगी।
- संस्थान के निदेशक महोदय को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- नीलामी के समय परिस्थिती को ध्यान में रखकर निदेशक महोदय को शर्तों में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार होगा।
- खराब तथा नीचे गिरे हुये मोसंबी फलों को ठेकेदार को हटाना होगा।
- ठेकेदार को बयाना (ई.एम.डी.) राशि वापस लेने के लिए फार्म प्रभारी/सहा. फार्म प्रभारी से ना हरकत प्रमाणपत्र लेकर कार्यालय में जमा करना होगा।

आ.सी.ए.आर.
02/09/2024

प्रशासनिक अधिकारी
आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई., नागपुर

प्रतिलिपी:

1. डॉ. नरेश मेश्राम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, फार्म प्रभारी एवं सतर्कता अधिकारी, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई., नागपुर।
2. डॉ. दर्शन कदम, वैज्ञानिक एवं सहायक फार्म प्रभारी, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई., नागपुर।
3. श्री. वी.पी. भालाधरे, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई., नागपुर।
4. डॉ. सुनील कुमार यु.टी., मुख्य तकनीकी अधिकारी तथा इस्टेट ऑफिसर, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई., नागपुर।
5. वित्त एवं लेखा अधिकारी, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई., नागपुर।
6. कॅश अॅण्ड बिल सेक्शन, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई., नागपुर।
7. नॅशनल प्रोटेक्टिव सिक्यूरिटी सर्विसेस, 102 दिपीका अरीहन्त कोहीनूर अपार्टमेंट, त्रिमुर्ति नगर, नागपुर 440022।
8. श्री डी. डी. बॅनर्जी, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, उपरोक्त नीलामी सुचना संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।